राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4138/2022

बंसी लाल यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. अभिषेक मीणा, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्देल कलां, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 25.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यू सिंह यदुवंशी, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (इतिहास) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुरा, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्देल कलां, जयपुर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 01.07.1964 है। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 21 माह का समय ही शेष है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में बिना सहमति के किया गया है, जो राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियमों का उल्लंघन है। अपीलार्थी ह्रदय रोग से पीड़ित है तथा चिकित्सकों ने ह्रदय की गंभीर स्थिति के मध्यनजर ऑपरेशन की सलाह दी गई है (अनुलग्नक–5)।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को व्याख्याता (इतिहास)

के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुरा, झोटवाडा, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त परिलाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 21 माह का समय ही शेष रह गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान तथा श्रीमति मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय द्वारा सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय रह जाने पर स्थानान्तरण को अनुचित एवं विधि विरूद्ध माना है। अतः अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय ही शेष रह गया है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 की क्रियान्विति (Operation) को स्थगित किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां आलोच्य आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में जिले में ही अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है, इसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक ..... के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान् अभिभाषक द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावे। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा।

पत्रावली दिनांक ..... को वास्ते जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य